भाग - III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 सितम्बर, 2014

संख्या का०आ०/के०अ० 12/1919/घा० 2 तथा 8/2014.— विष अधिनियम, 1919 (1919 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 2 तथा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 68/के०अ०12/1919/घा० 2 तथा 8/2014, दिनांक 30 जून, 2014 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब विष स्वामित्व तथा विक्रय नियम, 1966 हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब विष स्वामित्व तथा विक्रय (हरियाणा संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब विष स्वामित्व तथा विक्रय नियम, 1966 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, "अनुज्ञप्तिधारक" शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "व्यवहारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, विष अधिनियम, 1919 (1919 का केन्द्रीय अधिनियम 12) ;

(ख) "व्यवहारी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिधारी है तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विष का कारबार करता है ;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(घ) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्राय है, जिले का सिविल सर्जन ;

(ङ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, कोई अनुज्ञप्तिधारक ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ; तथा

(छ) "विक्रय" से अभिप्राय है, किसी व्यवहारी द्वारा दूसरे व्यवहारी को, किसी शैक्षिक संस्था, किसी अर्हक चिकित्सा व्यवसायी, रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चलाए जा रहे किसी अनुसंधान या चिकित्सा संस्था, अस्पताल या औषधालय, किसी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक संस्था या औद्योगिक फर्म को उसके अपने प्रयोग के लिए अपेक्षित या सरकारी विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या निजी उपयोग के लिए किसी वैयक्तिक को विक्रय।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 4 में, "पंजाब" शब्द के स्थान पर, "हरियाणा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"4क. (1) अनुज्ञप्ति केवल उसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में विष का कारबार करने के लिए सक्षम है।

(2) किसी फर्म या कम्पनी को जारी की गई अनुज्ञप्ति हमेशा कम्पनी के स्वामी, भागीदार या निदेशक या प्रयोजन के लिए ऐसे स्वामी, भागीदार या निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के नाम से, या किसी सार्वजनिक कम्पनी की दशा में उसके प्रबन्धक के नाम से होगी।

(3) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाला या अनुज्ञप्ति नवीकरण करवाने वाला प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति प्ररूप 1क में अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित आवेदन करेगा तथा ऐसा आवेदन

0210–चिकित्सा और जन स्वास्थ्य

04– जन स्वास्थ्य,

104– फीसें और जुर्मानें इत्यादि

99– अनुज्ञप्तियों तथा नवीकरण जारी करने के लिए फीसें

51– एन ए

शीर्ष के अधीन खजाना में जमा करवाई जाने वाली पांच सौ रूपए की फीस सहित दस रूपए की कोर्ट फीस स्टाम्प के साथ करेगा ;

परन्तु जहां अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से कम से कम तीन मास पूर्व नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी एक हजार रूपए की फीस जमा करवाएगा।

(4) जहां मूल गुम हो गया है या नष्ट हो गया है, तो लिखित में डुप्लिकेट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किए जाएंगे तथा पांच सौ रुपए की कोर्ट फीस स्टाम्प लगाई जाएगी।

(5) अनुज्ञप्तिधारी के कारबार के स्थान में किसी परिवर्तन की दशा में, रिकार्ड के अद्यतन और अनुज्ञप्ति में संशोधन करने हेतु आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जाएगा और ऐसे आवेदन पर पांच सौ रुपए की कोर्ट फीस स्टाम्प लगाई जाएगी।

(6) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को कारबार के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा और कारबार के स्थान तथा भण्डारण के स्थान पर प्ररूप III में यथा विनिर्दिष्ट ऐसिड/ क्षयकारी पदार्थों की सुरक्षा, भण्डारण और आकस्मिक प्रबन्धन सम्बन्धी सामान्य सावधानियां, निरोधक उपाय भी प्रदर्शित करेगा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"5. अनुज्ञापन प्राधिकारी, यदि उसकी राय में, अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताने के लिए अवसर देने के बाद कि क्यों न ऐसा आदेश पारित किया जाना चाहिए, उसके लिए कारण बताते हुए लिखित में आदेश द्वारा इसके अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति को या तो पूर्ण रूप से या ऐसे पदार्थों जिससे यह सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में रद्द कर सकता है या ऐसी अवधि के लिए जिसे वह ठीक समझे, निलम्बित कर सकता है:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण, यदि कोई हो, को बताने के लिए सम्बद्ध पक्षकार को अवसर देगा और अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने से इन्कार करने हेतु या अनुज्ञप्ति को रद्दकरण करने या प्रतिसंहृत करने हेतु कारण अभिलिखित करेगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु कोई आवेदक जिसकी अनुज्ञप्ति अस्वीकृत की गई है, या अनुज्ञप्तिधारी जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द/प्रतिसंहृत की गई है और अनुज्ञापन

प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो वह महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा को अपील दायर कर सकता है ।"।

7. उक्त नियमों में, नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"6. नियम 5 और 8 के उपबन्धों के अध्यधीन इन नियमों की अधिसूचना के बाद अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है या नवीकृत की गई है, तो यह जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।"।

8. उक्त नियमों में, नियम 8 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8क. अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु होने पर या उसके कारबार के अन्तरण होने पर, या यदि फर्म या कम्पनी को प्रदान की गई है, तो ऐसी फर्म या कम्पनी के बन्द होने पर या कारबार के अन्तरण पर अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी :

परन्तु समाप्ति की दशा में, विधिक वारिस, अन्तरक, अन्तरिती या समापक या ऐसे करने के लिए उत्तरदायी कोई अन्य व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी समाप्ति की तिथि पर भण्डारण के विवरण सहित अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त सूचना भेजेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी या उस द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रस्तुत किए गए भण्डारण के विवरण सहित भण्डारण का सत्यापन करने के बाद विष को सीलबन्द करेगा :

परन्तु यह और कि विधिक वारिस, अन्तरक, अन्तरिती या समापक, जैसी भी स्थिति हो, या तो उसके नाम अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा या अनुज्ञापन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में, समाप्ति के तीन मास के भीतर भण्डारण का निपटान करेगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे विधिक वारिस या अन्तरिती या समापक, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा न तो अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है न ही तीन मास के भीतर भण्डारण का निपटान किया जाता है, तो महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा के आदेश के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भण्डारण नष्ट कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि कारबार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जा रहा है, तो फर्म या कम्पनी को ऐसे रूप में अन्तरित किया जाता है जैसा समुत्थान को किया जाता है और अन्तरिती अन्तरण की तिथि से चौदह दिन के भीतर, पांच सौ रुपए की फीस सहित दस रुपये की कोर्ट फीस स्टाम्प के साथ नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा, विद्यमान अनुज्ञप्ति तब तक निरन्तर लागू रहेगी जब तक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं कर दी गई है या नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन रद्द नहीं किया जाता है, जो भी पहले हो।"।

9. उक्त नियमों में, नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"10. (1) विष का प्रत्येक विक्रय वैयक्तिक रूप में अनुज्ञप्तिधारक द्वारा या जहां अनुज्ञप्ति किसी फर्म या कम्पनी को जारी की गई है तब इस प्रयोजन के लिए फर्म के समापक या भागीदार या कम्पनी के निदेशक या ऐसे समापक, भागीदार या निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा यथा साध्य अनुसार किया जाएगा।

(2) कोई अनुज्ञप्तिधारक तब तक किसी व्यक्ति को किसी विष का विक्रय नहीं करेगा जब तक अवरोक्त उसको निजी रूप से जानता न हो, या उसकी संतुष्टि के लिए पहचान नहीं की जाती है। वह किसी विष का विक्रय करने से पूर्व खरीददार का नाम, दूरभाष नम्बर तथा पता और

प्रयोजन जिसके लिए विष खरीदा गया है, भी अभिनिश्चित करेगा। वह किसी व्यक्ति को जो उसे अठारह वर्ष की आयु से कम का प्रतीत होता है, या किसी व्यक्ति को जो उसे उसकी पूर्ण मानसिक शक्ति की स्थिति में प्रतीत नहीं होता हो, या किसी भ्रमणशील भिक्षुक को विष का विक्रय नहीं करेगा।

(3) व्यवहारी केवल अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसर में विष का भण्डारण करेगा या विक्रय करेगा।"।

10. उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"11. (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह किसी कैमिस्ट, औषधि–विक्रेता, या दवा तैयार करने वाले कम्पाउण्डर या अर्हक चिकित्सा या पशु व्यवहारी के नुसखा की अनुपालना में मिश्रण द्वारा उपयोग से अन्यथा विष के सभी विक्रय सही रूप से दर्ज करेगा। निम्नलिखित विस्तृत विवरण नियमों से अनुलग्नक प्ररूप IV के अनुसार, ऐसे रजिस्टर में, ऐसे विष के सम्बन्ध में दर्ज किए जाएंगे।

(2) उप–नियम (1) के अधीन विहित रजिस्टर में हस्ताक्षर स्वयं अनुज्ञप्तिधारक के होंगे, या जब अनुज्ञप्तिधारक कोई फर्म या कम्पनी है, तो फर्म या कम्पनी के समापक, भागीदार या निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, या ऐसी फर्म या कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के होंगे और खरीददार को विक्रय या प्रेषण के समय पर अंकित किया जाएगा। ऐसे हस्ताक्षर का विवक्षित प्रभाव होगा कि लेखक स्वयं सन्तुष्ट हो गया है कि नियम 10 की अपेक्षाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

(3) प्ररूप IV में मद (छ) के अधीन निर्दिष्ट सभी पत्र या लिखित आदेश विक्रय की तिथि से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल में बनाए रखे जाएंगे।"।

11. उक्त नियमों में, नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"13. कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उप–निरीक्षक या उससे ऊपर की पदवी का कोई पुलिस अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई चिकित्सा अधिकारी या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23), की धारा 21 के अधीन नियुक्त निरीक्षक व्यवहारी के कार्य दिवस के दौरान और व्यवहारी को नोटिस देने के बाद व्यवहारी के परिसरों का निरीक्षण कर सकता है जहां विक्रय के लिए विष रखा गया है और उसमें पाए गए सभी विषों और रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है।"।

12. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"14. (1) किसी अनुज्ञप्तिधारक द्वारा इन नियमों के अधीन विक्रय के लिए रखे गए विष बाक्स, अलमारी, कक्ष या भवन (मात्रा बनाए रखने के अनुसार) में सुरक्षित रूप में रखे जाएंगे जो ताला और चाबी द्वारा सुरक्षित होंगे और जिनमें अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार अधिकृत विष से अन्यथा कोई पदार्थ नहीं रखा जाएगा, और प्रत्येक विष ऐसे बाक्स, अलमारी, कक्ष या अलग से बन्द पात्र या ग्लास, धातु या मिट्टी के बर्तन में भवन के भीतर सुरक्षित रूप से रखे जाएंगे। प्रत्येक ऐसा बाक्स, अलमारी, कक्ष या भवन और प्रत्येक ऐसा पात्र हिन्दी और अंग्रजी दोनों में लाल अक्षरों में "विष" शब्द से चिह्नित होगा और अलग विष रखे जाने वाले पात्रों की दशा में प्ररूप IV में विनिर्दिष्ट विक्रयों के रजिस्टर में ऐसे विष के नाम, संख्या तथा प्रवेश की तिथि सहित ।

(2) जब किसी विष का विक्रय किया जाता है, तो यह बन्द पात्र या आधान (मात्रा के अनुसार) में सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा, और प्रत्येक ऐसे पात्र या पैक्ट अंग्रेजी में और स्थानीय भाषा में विष का नाम और अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता देते हुए लाल लेबल से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंकित किया जाएगा। पात्र पर निम्नलिखित व्यापक चेतावनी प्रतीक भी प्रदर्शित किया जाएगा।"।

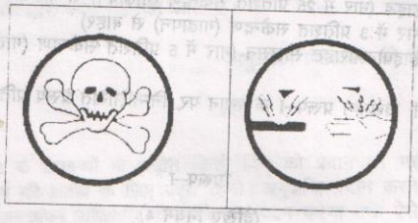

13. उक्त नियमों में, नियम 15 तथा 16 का लोप कर दिया जाएगा।

14. उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"अनुसूची

(देखिए नियम 3)

विष सूची:–

1. ऐसोटिक ऐसिड (भार में 25 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)
2. ऐसीटिक एनहाईडराईड
3. सल्फ्यूरिक ऐसिड (H_2SO_4) (भार में 5 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)
4. हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड (एच. सी. एल.) (भार में 5 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)
5. फास्फोरियक ऐसिड (H_3PO_4)
6. हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड (एच. एफ.)
7. परक्लोरिक ऐसिड ($HClO_4$)
8. फोरमिक ऐसिड (भार में 10 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)
9. हाइड्रोश्यानिक ऐसिड, हाइड्रोश्यानिक ऐसिड के भार में 0.1 प्रतिशत भार से कम वाले पदार्थों के सिवाय
10. हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड, हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड के भार में 5 प्रतिशत भार से कम वाले पदार्थों के सिवाय
11. नाईट्रिक ऐसिड, नाईट्रिक ऐसिड के भार में 5 प्रतिशत भार से कम वाले पदार्थों के सिवाय
12. आक्सेलिक ऐसिड
13. मरकरी का परक्लोराइड (क्षयकारी सबलिमेंट)

14. पोटासियम हाइड्रोक्साईड, पोटासियम, हाइड्रोक्साईड के भार में 2 प्रतिशत से कम वाले पदार्थों के सिवाए
15. सोडियम हाइड्रोक्साईड, सोडियम हाइड्रोक्साईड के भार में 2 प्रतिशत से कम वाले पदार्थों के सिवाए
16. हाइड्रोजन पैराक्साइड (भार में 50 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)
17. फारमलडेहाइड (भार में 25 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)
18. फिनोल (भार में 3 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)
19. सोडियम हाइपोक्लाराइट सोलूसन (भार में 5 प्रतिशत सकेन्द्रण (गाढापन) से बाहर)।"।

15. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप–I के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप–I

(देखिए नियम 4)

विष के स्वामित्व तथा विकय के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो

रजिस्टर संख्या .....

अनुज्ञप्तिधारी का नाम .....

दुकान की अवस्थिति .....

जिला..... के पुलिस थाना ..... के अधीन .....

(स्थानीय निकाय का नाम) में ..... के रूप में कारोबार चला रहा श्री .....
..... सुपुत्र श्री ..... इसके द्वारा, निम्नलिखित विषों के थोक विक्रय के लिए, खुदरा विक्रय द्वारा या उपयोग के लिए रखने हेतु अनुज्ञप्त किया जाता है, अर्थात् :–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

यह अनुज्ञप्ति नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है। किन्हीं शर्तों के भंग में विष अधिनियम, 1919 (1919 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 6क के अधीन उपबन्धित शास्तियों के अधिरोपण के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति का रद्दकरण भी शामिल है।

यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक प्रवृत रहेगी जब तक पहले से अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु द्वारा समाप्त नहीं हो जाती है या सम्बद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं की जाती है।

अनुज्ञापन प्राधिकारी की मोहर तथा हस्ताक्षर।

शर्तें

1. नियम 5 तथा 8 के उपबन्धों के अधीन किसी दिन को प्रदान की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेगी। अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित आवेदन करेगा तथा ऐसे आवेदन के साथ पांच सौ रूपए की फीस सहित 10 रूपए की कोर्ट फीस स्टाम्प लगाई जाएगी।
2. अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु पर या यदि किसी फर्म या कम्पनी को प्रदान की गई है, तो ऐसी फर्म या कम्पनी का कारबार बन्द होने या अन्तरण होने पर समाप्त कर दी जाएगी।
3. अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी पर्याप्त कारण से किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरण या रद्द कर सकता है।
4. किसी विष का प्रत्येक विक्रय जहां तक व्यवहार्य हो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वैयक्तिक रूप में किया जाएगा या जहां अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कोई कम्पनी है, तो ऐसी फर्म या कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण के माध्यम से या के अधीन किया जाएगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी तब तक किसी व्यक्ति को किसी विष का विक्रय नहीं करेगा जब तक वह आयु में अठारह वर्ष से अधिक का न हो और अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के लिए पहचान पत्र का सबूत जिसमें खरीददार का पता है या इसे उसके पते को वर्णित करने वाले दस्तावेज से प्रमाणित करता है, उपलब्ध नहीं करवाता है। अनुज्ञप्तिधारी किसी विष के विक्रय से पहले खरीददार का नाम, दूरभाष नम्बर और पता और प्रयोजन जिसके लिए विष खरीदा गया है, भी अभिनिश्चित करेगा।
6. (1) प्रत्येक व्यवहारी एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें वह विष के सभी विक्रय दर्ज करेगा और पहचान पत्र के सबूत का रिकार्ड भी रखेगा। निम्नलिखित ब्यौरे प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में ऐसे रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) क्रम संख्या।

(ख) विक्रय की तिथि।

(ग) खरीददार का नाम, दूरभाष संख्या तथा पता।

(घ) विष का नाम।

(ङ) बेची गई मात्रा।

(च) प्रयोजन जिसके लिए विष की अपेक्षा के रूप में खरीददार द्वारा बताया गया था।

(छ) खरीददार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान यदि अनपढ़ है या डाक द्वारा खरीद के मामले में, पत्र की तिथि या लिखित आदेश तथा फाईल जिसमें यह परिरक्षित की गई है, स्रोत के संदर्भ।

(ज) व्यवहारी के हस्ताक्षर।

(2) रजिस्टर के पृथक भाग में, प्रतिदिन बेचे गए प्रत्येक ऐसे विष की मात्रा और पृथक खानों में उसकी प्रविष्टियां दिन प्रतिदिन के रूप में भरी जाएंगी।

(3) रजिस्टर के खाना (ज) में हस्ताक्षर स्वयं अनुज्ञप्तिधारी के कराए जाएंगे या जब अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कम्पनी है, तो खरीददार के अधिकृत प्रेषण के कराए जाएंगे। ऐसे हस्ताक्षर उपलक्षित करेंगे कि लिखने वालो ने स्वयं को सन्तुष्ट कर लिया है कि नियम 15 की अपेक्षाएं पूरी कर ली गई है।

(4) रजिस्टर के खाना (छ) में निर्दिष्ट सभी पत्रों या लिखित आदेशों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल में या विक्रय की तिथि से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाएगा।

7. कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उप–निरीक्षक या उससे ऊपर की पदवी का कोई पुलिस अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई चिकित्सा अधिकारी या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम 23), की धारा 21 के अधीन नियुक्त निरीक्षक व्यवहारी के कार्य दिवस के दौरान या व्यवहारी को नोटिस देने के बाद व्यवहारी के परिसरों का निरीक्षण कर सकता है जहां विक्रय के लिए विष रखा है और उसमें पाए गए सभी विषों और रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकता है।

8. इन नियमों के अधीन (किसी चिकित्सक या पशु व्यवसायी के नुसखों की अनुपालना में दवा तैयार करने या मिश्रण के प्रयोजन के लिए किसी कैमिसट और औषधि–विक्रेता द्वारा रखे गए उन विषों के सिवाय) किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय के लिए रखे गए सभी विषों को बाक्स, अलमारी, कक्ष या भवन (मात्रा बनाए रखने के अनुसार) में रखे जाएंगे जो ताला और चाबी द्वारा सुरक्षित होंगे और जिनमें अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार अधिकृत विषों से अन्यथा कोई पदार्थ नहीं रखा जाएगा, और प्रत्येक विष गिलास, प्लास्टिक, धातु के पृथक बन्द पात्र या मिट्टी के बरतन में ऐसे बाक्स, अलमारी, कक्ष या भवन के भीतर रखा जाएगा। प्रत्येक बाक्स, अलमारी, कक्ष या भवन और प्रत्येक ऐसा पात्र अंग्रजी और स्थानीय भाषा में लाल

अक्षर में "विष" शब्द से और यदि पात्रों में पृथक विष हैं, तो ऐसे विषों के नाम सहित चिह्नित किया जाएगा।

9. जब कोई विष विक्रय किया जाता है, तो उसे बन्द पात्र या पैकेट (मात्रा अनुसार) में सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा, और प्रत्येक ऐसा पात्र या पैकेट को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में विष के नाम से लेबल विकेता द्वारा चिह्नित किया जाएगा और विक्रय रजिस्टर में संख्या तथा तिथि दर्ज की जाएगी।

10. अनुज्ञप्ति उपरोक्त वर्णित शर्तों तथा अधिनियम और अधिनियम के अधीन समय–समय पर बनाए गए उसके किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन धारित की जाएगी।

11. अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह दवाई में प्रयोग के लिए किसी विष के विक्रय या विकय हेतु अधिकार में रखने का इरादा करता है, तो वह पहले औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (ग) के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

टिप्पणी.– दवाई उपयोग के लिए विष से अभिप्राय है, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3 में यथा परिभाषित औषधि।"।

16. उक्त नियमों में, प्ररूप I के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप–I क

(देखिए नियम 4क)

विष के स्वामित्व तथा विकय के लिए अनुज्ञप्ति देने/ नवीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक/ फर्म का नाम :

2. आवेदक की आयु :

3. कार्यालय तथा निवास स्थान :

4. अनुज्ञप्ति संख्या तथा अनुज्ञप्ति की प्रति (नवीकरण आवेदनों के लिए लागू) :

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के नामांकन सहित आवेदक फर्म के गठन सम्बन्धी दस्तावेज :

6. दुकान या भण्डारण के कारोबार के स्थान जिसके लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है, फलैट की संख्या तथा मकान संख्या तथा गली सहित भवन का नाम या सड़क जहां यह स्थित है, का पूरा पता :

7. परिसर के नक्शे की प्रति :

8. परिसर के स्वामित्व के अधिकार से सम्बन्धित दस्तावेज :

9. विक्रय/अधिकार में रखे जाने के लिए प्रस्तावित विष का नाम :

10. जमा करवाई गई फीस, चालान संख्या, तिथि, खजाना का नाम, जिला का विस्तृत विवरण : (आवेदक को आवेदन के साथ स्वयं साक्ष्यांकित फोटो की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए)।"।

17. उक्त नियमों में, प्ररूप II के बाद, निम्नलिखित प्ररूप जोडे जाएंगे, अर्थात:–

"प्ररूप–III

(देखिए नियम 4क)

ऐसिड/क्षयकारी पदार्थों की सुरक्षा, भण्डारण और आकस्मिक प्रबन्धन के सम्बन्ध में सामान्य पूर्वोपाय, निरोधक उपाय :–

(क) व्यक्ति परिसरों में एसिड/ क्षयकारी पदार्थों को अधिकार में रखने, पर्यवेक्षण, भण्डारण और सुरक्षित देख–रेख के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसिड/क्षयकारी भण्डारण दोहरी लॉक प्रणाली के अधीन होगा।

(ग) ऐसिड उपयोग का रजिस्टर तैयार किया जाएगा और उसे प्रत्येक तिमाही में सम्बन्धित उप–मण्डल मजिस्ट्रेट से भरवाया जाएगा।

(घ) प्रयोगशालाओं/ भण्डारण के स्थान, जहां ऐसिड/श्रमकारी का उपयोग/ भण्डारण किया जाता है, में रहने वाले छात्रों/ क्रामिकों की जांच आवश्यक होगी।

(ङ) रसायनों का भण्डारण प्लास्टिक या अन्य उपयुक्त आधानों में किया जाना चाहिए।

(च) सभी आधान भण्डारणों पर रसायनों की पहचान और अन्तर्ग्रस्त खतरा निदर्शित करते हुए चिहिन्त होने चाहिए और पूर्वोपाय किए जाने चाहिए।

(छ) परस्पर विरोधी रसायनों का भण्डारण एक साथ नहीं किया जाना चाहिए।

(ज) क्षयकारी रसायनों की सूची कम से कम रखनी चाहिए।

(झ) जहां उचित हों संरक्षित दस्ताने, सुरक्षित ऐनक और फेस कवच पहनने चाहिए।

(ञ) ऐसिड सावधानी से तनूकृत किए जाने चाहिए–हमेशा पानी में ऐसिड मिलाया जाए, कभी भी ऐसिड में पानी नहीं मिलाया जाए।

2. आकस्मिक प्रबन्धन

(क) **त्वचा स्पर्श** : शीघ्र दूषित कपड़ों, जूतों तथा चमड़े से बनी सामग्री (जैसे हस्तबन्द, कमरबन्द) को उतारे। शीघ्र और धीरे से अधिक रसायन को सुखाएं या पोंछे। तुरन्त गुनगुना पानी से साफ करें, धीरे से कम से कम तीस मिनट के लिए पानी प्रवाहित करें। पानी से साफ करना रोका न जाए। यदि यह कुशलपूर्वक किया जा सकता है, तो अस्पताल में ले जाते समय निरन्तर पानी से साफ करते रहें।

(ख) **नेत्र स्पर्श** : सीधा स्पर्श से बचना। यदि आवश्यक हो, तो रसायन संरक्षित दस्ताने पहने। शीघ्र और धीरे से चेहरे से रसायन को सुखाएं या पोंछे। तुरन्त गुनगुना पानी से नेत्र (नेत्रों) को साफ करें, धीरे से कम से कम तीस मिनट के लिए पानी प्रवाहित करें, पलक (पलकें) खोलें। यदि स्पर्श लेन्स विद्यमान है, तो पानी से साफ करने में देरी न करें या लेन्स को बदलने का प्रयास करें। उदासीन लवणीय घोल यदि उपलब्ध हो, तो यथा शीघ्र उपयोग करें।पानी से साफ करना रोका न जाए। यदि आवश्यक हो, तो अस्पताल में ले जाते समय निरन्तर पानी से साफ करते रहें।

(ग) **अन्तर्ग्रहण** : क्या पीड़ित ने पानी से मुंह साफ किया है। यदि स्वभाविक ढंग से उलटी आ रही है, क्या पीड़ित को श्वास के जोखिम को कम करने के लिए आगे झुकाया जाए। क्या पीड़ित ने पानी से दोबारा मुंह साफ किया है। तुरन्त विष केन्द्र या डाक्टर कॉल किया जाए।

(घ) **अन्तःश्वसन** : बचाव का प्रयास करने से पूर्व अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वापाय करें (उदाहरणार्थ उचित संरक्षित उपकरण पहनने चाहिए)। पीड़ित को खुली हवा में घुमाए। श्वास के लिए आरामदायक अवस्था में रखा जाए। यदि श्वास लेने में कठिनाई होती है, तो प्रशिक्षित कामिक द्वारा आपात ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। अनावश्यक घुमने के लिए पीड़ित को अनुज्ञात नहीं किया जाए। फुप्फुस शोफ के रोगलक्षण विलंबित किए जा सकते हैं। तुरन्त विष केन्द्र या डाक्टर कॉल किया जाए। जैसाकि उपचार तुरन्त अपेक्षित है, तो व्यक्ति को अस्पताल में ले जाया जाए।

प्ररूप–IV

(देखिए नियम 11)

(क) क्रम संख्या :

(ख) विष का नाम :

(ग) बेची गई मात्रा :

(घ) विक्रय की तिथि :

(ङ) खरीददार का नाम, दूरभाष संख्या तथा पता :

(च) प्रयोजन जिसके लिए विष की अपेक्षा के रूप में खरीददार द्वारा बताया गया था :

(छ) खरीददार के हस्ताक्षर या अनपढ़ का अंगूठा निशान या डाक द्वारा खरीद के मामले में, पत्र की तिथि या लिखित आदेश तथा फाईल जिसमें यह परिरक्षित की गई है, स्रोत के संदर्भ :

(ज) खरीददार को पहचानते हुए व्यक्ति के हस्ताक्षर, यदि कोई हो, (यदि अनपढ़ है, तो अंगूठा का निशान); और

(झ) व्यवहारी के हस्ताक्षर।"।

नवराज सन्धू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 18th September, 2014

No. S.O. 109/C.A. 12/1919/S. 2 and 8/2014.—In exercise of the powers conferred by section 2 and 8 of the Poison Act 1919 (Central Act 12 of 1919) and with reference to Haryana, Health Department, notification No. S.O. 68/C.A.-12/1919/S.2 & 8/2014, dated the 20th June, 2014, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Poisons Possession and Sales Rules, 1966 as applicable to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Poisons Possession and Sales (Haryana Amendment) Rules, 2014.

2. In the Punjab Poisons Possession and Sales Rules, 1966 (herein- after called the said rules), for the words "license holder" wherever occurring, the word "dealer" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :—

"2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Poisons Act, 1919 (Central Act No. 12 of 1919);

(b) "dealer" means a person who is a licensee and deals in the business of poisons as specified in the Schedule;

(c) "Form" means form appended to these rules;

(d) "licensing authority" means the Civil Surgeon of the district;

(e) "licensee" means a holder of a license;

(f) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(g) "sale" means a sale by a dealer to another dealer, to any educational institution, any research or medical institution, hospital or dispensary run by a qualified medical practitioner, registered medical practitioner, any recognized public institution or industrial firm requiring poisons for its use or to Government Departments or Public Sector Undertaking or to an individual for personal use.".

4. In the said rules, in rule 4, for the word "Punjab", the word "Haryana" shall be substituted.

5. In the said rules, after rule 4, following rule shall be inserted, namely :—

"4A. (1) A license shall be granted only to a person who in the opinion of the licensing authority is competent to conduct business in poisons.

(2) The license issued to a firm or company shall always be in the name of the proprietor, partner or director of the company or a responsible person to be nominated by such proprietor, partner or director for the purpose, or in the case of a public company, in the name of its manager.

(3) Every person desiring to obtain a license or renewal of a license shall make a written application to the licensing authority in Form I-A and such application shall bear a court fee stamp of ten rupee alongwith fee of five hundred rupees to be deposited in treasury under the head

0210- Medical & Public Health

04- Public Health,

104 -Fees & Fines etc

99- Fees for issue and renewal of licenses,

51- N A :

Provided that where an application for renewal of a license is made less than three months prior to the date of the expiry of the license the licensee shall deposit a fee of one thousand rupees.

(4) Applications for duplicate license where the original is lost or destroyed shall be made in writing and shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.

(5) In the case of any change in the place of business of the licensee, an application shall be made to the licensing authority for updating the record and amendment in the license and such application shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.

(6) The licensee shall prominently display the license in the place of business and also display general precautions, preventive measures regarding security, storage and incident management of acids/ corrosive substances as specified in Form III at the place of business as well as place of storage.".

6. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. The licensing authority may, after giving the licensee an opportunity to show cause why such an order should not be passed, by an order in writing stating the reasons therefore, cancel a license issued under or suspend it for such period as he thinks fit, either wholly or in respect of some of the substances to which it relates, if, in his opinion, the licensee has failed to comply with any of the conditions of the license or with any provisions of the Act or rules thereunder:

Provided that the licensing authority shall give an opportunity to the party concerned to show cause, if any, against the action proposed to be taken and shall record in writing the reasons for refusing to grant or renew a license or for cancelling or revoking a license:

Provided further that an applicant for a license or renewal of license, whose license has been refused, or a licensee whose license has been cancelled/ revoked and is aggrieved by an order of the licensing authority, may file an appeal with the Director General Health Services, Haryana".

7. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Subject to the provisions of rules 5 and 8, a license granted or renewed after the notification of these rules shall be valid for a period of five years from the date of issue.".

8. In the said rules, after rule 8, the following rule shall be inserted, namely,—

"8A. A license shall terminate on the death of the license-holder or on the transfer of his business, or if granted to a firm or company, on the winding up or the transfer of the business of such firm or company :

Provided that in case of termination, the legal heir, the transferor, transferee or liquidator or any other person responsible for doing so, as the case may be, shall send an intimation immediately to the licensing authority along with statement of stock as on the date of such termination and the licensing authority or a person duly authorized in this behalf by him, shall, seal the poison after verifying the stock with the statement of stock submitted :

Provided further that the legal heir, transferor, transferee or the liquidator, as the case may be shall either obtain license in his name or dispose of the stock within three months of termination, in the presence of the person authorized by the licensing authority, after obtaining approval from the licensing authority :

Provided further that in case neither the license is obtained nor the stock is disposed of within three months, by such legal heir or transferee or the liquidator, as the case may be, the stock shall be destroyed under the orders of the Director General Health Services, Haryana and by the licensing authority or the person duly authorized in this behalf.

Provided further that if the business carried on by the licensee, as such of the firm or company is transferred as a going concern and the transferee applies for a fresh license, with court fee stamp of ten rupees alongwith fee of give hundred rupees, within fourteen days of the date of transfer, the subsisting license shall continue to be in force until a new license has been granted or the application for fresh license is rejected by the licensing authority, whichever is earlier.".

9. In the said rules, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely,—

"10.(1) Every sale of poison shall, as far as practicable, be made by the license holder in person or where the license is issued to a firm or company then by proprietor or partner of the firm or director of the company or a responsible person to be nominated by such proprietor, partner or director, as the case may be for this purpose.

(2) A license holder shall not sell any poison to any person, unless the latter is personally known to him, or identified to his satisfaction. He shall also ascertain before selling any poison the name, telephone number and address of the

purchaser and the purpose for which the poison is purchased. He shall not sell any poison to any person who appears to him to be under the age of eighteen years, or to any person who does not appear to him to be in full possession of his faculties or to any wandering mendicant.

(3) A dealer shall store and sell the poison only from the premises specified in the license".

10. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely :—

"11.(1) Every license holder shall maintain a register in which he shall enter correctly all sales of poison other than those used by a Chemist, Druggist or Compounder dispensing or compounding in compliance with prescription of a qualified medical or veterinary practitioner. The following details shall be entered in respect of such poison, in such register, as per Form IV annexed with the rules.

(2) The signature in the register prescribed under sub-rule (1) shall be that of the license-holder himself, or, when the license holder is a firm or company, that of proprietor, partner or director of the firm or company, as the case may be or, a duly authorized representative of such firm or company, as the case may be, and shall be written at the time of sale or dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the writer has satisfied himself that the requirements of rule 10 had been fulfilled.

(3) All letters or written orders referred to under item (g) in Form IV shall be preserved in original by the licensee for a period not less than two years from the date of the sale".

11. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely :—

"13. Any Executive Magistrate or a police officer of the rank of Sub-Inspector and above or a Medical Officer duly authorized by the licensing authority or an Inspector appointed under section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940) may, during working hours of dealer and after giving notice to the dealer, inspect the premises of the dealer where a poison is kept for sale and may inspect all poisons found therein and the registers.".

12. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely,—

"14. (1) All poisons kept for sale under these rules by any license-holder shall be kept securely in box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key and in which no substance shall be placed other than poisons possessed in accordance with a license granted under the Act, and each poisons shall be kept securely within such box, almirah, room or building in separate closed receptacle or glass, metal or earthenware. Every such box, almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word "POISON" in red letters, both in Hindi and English and in the case of receptacles containing separate poisons, with name of such poison, the number and date of entry in the register of sales specified in Form IV.

(2) When any poison is sold, it shall be securely packed in a closed receptacle or container (according to the quantity); and every such receptacle or packet shall be labeled by the licensee with a red label bearing in English and in local language giving the name of the poison and the name and address of the licensee. The following universal warning symbol shall also be displayed on the receptacle".

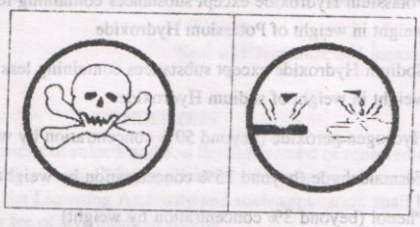

13. In the said rules, rules 15 and 16 shall be omitted.

14. In the said rules, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"THE SCHEDULE"

(see rule 3)

List of Poisons :—

1. Acetic acid (beyond 25% concentration by weight)
2. Acetic Anhydride
3. Sulphuric acid (H_2SO_4) (beyond 5% concentration by weight)
4. Hydrochloric acid (HCL) (beyond 5% concentration by weight)
5. Phosphoric acid (H_3PO_4)
6. Hydrofluoric acid (HF)
7. Perchloric acid ($HCLO_4$)
8. Formic acid (beyond 10% concentration by weight)
9. Hydrocyanic acid, except substances containing less than 0.1 per cent weight in weight of Hydrocyanic acid.
10. Hydrochloric acid, except substances containing less than 5 per cent weight in weight of Hydrochloric acid.

11. Nitric acid, except substances containing less than 5 per cent weight in weight of Nitric acid.
12. Oxalic Acid
13. Perchloride of mercury (corrosive sublimate)
14. Potassium Hydroxide except substances containing less than 2 per cent weight in weight of Potassium Hydroxide
15. Sodium Hydroxide except substances containing less than 2 per cent weight in weight of sodium Hydroxide.
16. Hydrogen peroxide (beyond 50% concentration by weight)
17. Formaldehyde (beyond 25% concentration by weight)
18. Phenol (beyond 3% concentration by weight)
19. Sodium Hypochlorite Solution (beyond 5% concentration by weight)".

15. In the said rules, for the existing Form I, the following Form shall be substituted, namely :—

"Form I

(see rule 4)

License for possession and sale of Poisons

Photograph of Licensee

Register No.

Name of Licensee

Locality of shop

Sh.....Son of Sh.....
Resident of.....carrying on business as.....in the,.....(Name of Local Body) under.....Police Station, of.....District, is hereby licensed to possess for whole sale, sale by retail or for use the following poisons namely :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

5. .....

This license is subject to the conditions specified below. The breach of any of the conditions shall involve cancellation of the license in addition to imposition of penalties provided under section 6 of the Poisons Act, 1919 (Central Act 12 of 1919).

This license shall remain in force for a period of five years from the date of grant unless previously terminated by the death of the license holder or cancelled by the licensing authority concerned.

Seal and Signature of Licensing Authority.

CONDITIONS

1. Subject to the provisions of rules 5 and 8, a license granted or renewed on any day shall remain in force for a period of five years. Every applicant for the grant or renewal of a license shall make a written application to the Licensing Authority and such application shall bear a Court-fee stamp of ten rupees alongwith fee of five hundred rupees.

2. A license shall terminate on the death of the licensee or if granted to a Firm or company on the winding up or transfer of the business of such firm or company.

3. The Licensing Authority may for any sufficient cause revoke or cancel any license.

4. Every sale of a poison shall so far as practicable be made by the Licensee in person or where the licensee is a Firm or a Company, through or under the supervision of an accredited representative of such firm or company.

5. A license shall not sell any poison to any person unless he is more than eighteen years of age and provides an identify proof to satisfaction of licensee which has the address of purchaser or substantiate it with a document mentioning his address. The licensee shall also ascertain before selling any poison the name, telephone number and address of the purchaser and the purpose for which the poison 13 purchased.

6. (i) Every dealer shall maintain a register in which he shall enter all sales of poison and also keep record of identify proofs. The following particulars shall be entered in such register in respect of each case, namely :

(a) Serial No.

(b) Date of sale

(c) Name, telephone number and address of the purchaser

(d) Name of the poison

(e) Quantity sold

(f) Purpose for which the poison was stated by the purchaser to be required.

(g) Signature of purchaser or thumb impression if illiterate or in case of purchase by post, date of letter or written order and reference to the origins in the file in which is preserved.

(h) Signature of dealer

(2) In a separate portion of the register, the quantity of each poison sold daily and the entries thereof in separate columns shall be filed in from day to day.

(3) The signature under column (h) of the register shall be that of the Licensee himself or when the licensee is a Firm or company that of an accredited dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the writer has satisfied myself that the requirements of rule 15 have been fulfilled.

(4) All letters or written orders referred in column (g) of the register shall be preserved in original by the licensee or a period of not less than two years from the date of the sale.

7. Any Executive Magistrate or a police officer of the rank of Sub-Inspector and above or a Medical Officer duly authorized by the licensing authority or an Inspector appointed under section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act 23 of 1940) may, during working hours of dealer and after giving notice to the dealer, inspect the premises of the dealer where a poison is kept for sale and may inspect all poisons found therein and the registers.

8. All poisons kept for sale by any licensee under these rules (except those kept by a chemist and druggist for the purpose of dispensing or compounding in compliance with the prescription of a medical or veterinary practitioner) shall be kept in a box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key and in which no substance shall be placed other than poisons possessed in accordance with a license granted under the Act and each poison shall be kept within such box, almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, plastic, metal, or earthen-ware. Every such box, almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word " Poison" in red characters in English and local language and in the case of receptacles containing separate poisons with the name of such poisons.

9. When any poison is sold, it shall be securely packed in closed receptacle or packet (according to the quantity) and every such receptacle or packet shall be labelled by the vendor with a label bearing the name of the poison in English and local language and the number and date of the entry in the register of sales.

10. The license shall be held subject to the conditions mentioned above and to the provisions of the Act and of any rules time to time made under the Act.

11. The licensee, if he intends to sell or possess for sale any poison for medicine use will first obtain a requisite license as required under section 18 (C) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

Note—A poison for medicine use means a drug as defined in section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940."

16. In the said rules, after Form I, the following Forms shall be inserted namely :—

"FORM–I A

[see rule 4A]

Application for Grant/ Renewal of License for possession and sale of Poisons

1. Name of the Applicant/ Firm :
2. Age of Applicant :
3. Office and Residence Address :
4. License No. and Copy of License (applicable for renewal applications)
5. Documents regarding constitution of the applicant firm including nomination of the authorized representative :
6. Full Address of the place of business of shop or of storage for which a license is applied for, number of the flat and the name of the building with house number and the street or the road where it is situated :
7. Site plan of the premises
8. Documents pertaining to the right of possession of the premises
9. Name of the poison proposed to be sold/ possessed.
10. Details of fee deposited, challan no., date, name of treasury, district.

(Applicant should furnish three copies of self- attested photographs along with the application)."

17. In the said rules, after Form II, the following Forms shall be added, namely :—

"FORM–III

(see rule 4A)

General precautions, preventive measures regarding security, storage and incident management of Acids/Corrosive substances :—

(a) A person shall be made accountable for possession, supervision, storage and safe keeping of acid/corrosive substances in the premises.

(b) The storage of acid/corrosive shall be under double lock system to ensure more security.

(c) A register of usage of acid shall be maintained and the same shall be filed with the concerned SDM every quarter.

(d) There shall be compulsory checking of the students/personnel leaving the laboratories/place of storage where acid/corrosive is used/ stored.

(e) The chemicals should be stored in plastic or other suitable containers.

(f) All storage containers should be labeled to indicate the identity of the chemicals and the hazards involved and the precautions to be taken.

(g) Incompatible chemicals should not be stored together.

(h) The inventory of corrosive chemicals should be kept to a minimum.

(i) Protective gloves, aprons, safety glasses and face shields should be worn where appropriate.

(j) Acids should be diluted with care – always add acid to water, never add water to acid.

(3) Incident Management

(a) Skin contact : Quickly take off contaminated clothing, shoes and leather goods (e.g. watchbands, belts). Quickly and gently blot or brush away excess chemical. Immediately flush with lukewarm, gently flowing water for at least thirty minutes. DO NOT INTERRUPT FLUSHING. If it can be done safely, continue flushing during transport to hospital.

(b) Eye Contact : Avoid direct contact. Wear chemical protective gloves if necessary. Quickly and gently blot or brush chemical off the face. Immediately flush the contaminated eye (s) with lukewarm, gently flowing water for at least thirty minutes, while holding the eyelid(s) open. If a contact lens is present, do not delay flushing or attempt to remove the lens. Neutral saline solution may be used as soon as it is available. DO NOT INTERRUPT FLUSHING. If necessary, continue flushing during transport to hospital.

(c) Ingestion : Have victim rinse mouth with water. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration. Have victim rinse mouth with water again. Immediately call a Poison Centre or doctor.

(d) Inhalation : Take precautions to ensure your own safety before attempting rescue (e. g. wear appropriate protective equipment). Move victim to fresh air. Keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing is difficult, trained personnel should administer emergency oxygen. DO NOT allow victim to move about unnecessarily. Symptoms of pulmonary edema may be delayed. Immediately call a Poison Centre or doctor. As treatment is urgently required, transport the person to a hospital.

FORM–IV

(see rule 11)

(a) Serial No

(b) Name of the poison

(c) Quantity sold

(d) Date of sale

(e) Name and address of the purchaser

(f) Purpose for which the poison was stated by the purchaser to be required

(g) Signature of purchaser or thumb impression of illiterate or in case of purchase by post, date of letter or written order and reference to the original in the file in which it is preserved

(h) Signature of a person identifying the purchaser if any (or thumb impression, if illiterate); and

(i) Signature of dealer".

NAVRAJ SANDHU
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Health Department.

52651—L.R.—H.G.P., Chd.